दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 03.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुरेन्द्र दूबे	सदस्य
3.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ला	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 जनार्दन	सदस्य
6.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
7.	डॉ0(श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
8.	डॉ0 रुसी राम महानन्दा	सदस्य
9.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
10.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
11.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
13.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
14.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री जनार्दन प्रसाद राय भी उपस्थित रहे ।

1.(क) **कार्य परिषद् ने दिनांक : 07 फरवरी, 2015 को होने वाले दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में विचार किया।**

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने दिनांक 07.02.2015 को होने वाले दीक्षान्त समारोह हेतु विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 द्वारा डी0लिट्0 / पी–एच0डी0 की उपाधियों के योग्य प्रमाणित अभ्यर्थियों की संलग्न सूची को तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों / कक्षाओं के सत्र 2013–14 के अभ्यर्थियों को उपाधियाँ एवं पदक दिये जाने सम्बन्धी संस्तुति से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) **कार्य परिषद् ने श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 : पी0एस0 05 / पी0जी0एस0 दिनांक 15 जनवरी, 2015 जो सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के बी0एस0–सी0 कम्प्यूटर साइंस के प्रथम वर्ष के छात्रों के परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी है, पर विचार किया।**

इस प्रकरण पर कार्य परिषद् ने मा0 कुलाधिपति के सचिव के पत्र संख्या पी0एस0 05 / पी0जी0एस0 दिनांक 15 जनवरी, 2015 से अवगत हुई तथा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि–

कार्य परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 08.01.2015 के बिन्दु संख्या 1 (क) में उक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37(2) एवं 37(10) के आलोक में निर्णय लिया था।

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) :

कार्य परिषद् (राज्य सरकार) की पूर्व अनुमति से, किसी भी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से समबद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी : (परन्तु यह कि यदि (राज्य सरकार) की राय में, महाविद्यालय सारवान् रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करता है, तो (राज्य सरकार) उस मतहाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगी अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में एक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे) : (परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है)।	The Executive Council may, with the previous sanction of the [State Government], admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject ot the provisions of sub-section(8), weithdraw or curtail any such privilege: [Provided that if in the opinion of the [State Government], a college substantially fulfils the conditions of affiliation, the [State Government], may sanction grant of affiliation to the college or enlarge the privileges thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms and conditions as he may deem fit : [Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of the course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation.]

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (10) :

इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए महाविद्यालय, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा पहले से सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, अध्ययन के उस पाठ्यक्रम को जारी करने का हकदार होगा, जिसके लिए पहले ही प्रवेश लिए जा चुके हैं, लेकिन वह उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता को प्राप्त किये बिना अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा।	Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of the Act, a college, which has already been given affiliation to a University before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (amendment) Act, 2003 in specific subjects for a specified period shall be entitled to continue the course of study for which admissions have already taken place **but it shall not admit any student in the first year of such course of study without obtaining affiliation under sub-section(2).**

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2015 के निर्णय :

बिन्दु नं0 1 (क) कार्य परिषद् ने सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय के सत्र 2013–14 एवं 2014–15 की सम्बद्धता पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रथमतः सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय के सत्र 2013–14 की सम्बद्धता न होने के कारण सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों का परीक्षाफल घोषित न किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2014–15 में भी विश्वविद्यालय के पत्रों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश न लिये जाने के निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय से बिना सम्बद्धता, पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त किये प्रवेश लेने के कारण भविष्य में इस महाविद्यालय को कम्प्यूटर साइंस विषय में सम्बद्धता प्रदान न की जाय।

महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता, मान्यता व परीक्षा कराने के सम्बन्ध में गलत सूचना देने तथा विश्वविद्यालय के निर्देशों का बार–बार उपेक्षा करने के कारण महाविद्यालय के प्राचार्य व सचिव को कड़ी चेतावनी दी जाय कि भविष्य में इस तरह के कृत्य न किये जॉय। साथ ही छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को निर्देशित किया जाय कि कम्प्यूटर साइंस पाठ्यक्रम सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों का फीस महाविद्यालय वापस कर दें।

मा0 कुलाधिपति महोदय के सचिव के उक्त पत्र पर कार्य परिषद् ने सम्मानपूर्वक विचार किया और इस पत्र की मंशा के अनुरूप निदानात्मक कार्यवाही हेतु महाविद्यालय से कतिपय सूचनायें प्राप्त करने की अपेक्षा की है, क्योंकि कुलाधिपति महोदय के सचिव का उक्त पत्र आने के पश्चात् महाविद्यालय से जो सूचनायें माँगी गयी थी, महाविद्यालय के प्राचार्य ने उनमें भी भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये हैं। इसलिए कार्य परिषद् यह अनुभव करती है कि महाविद्यालय के प्राचार्य से निम्नांकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या की मांग ली जाय–

(i) सत्र 2013–14 के स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय के बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष छात्रों का बिना परीक्षाफल घोषित हुए कैसे द्वितीय वर्ष (सत्र 2014–15) में प्रवेश दे दिया गया?

(ii) अगर यह प्रवेश औपबन्धिक है तो क्या महाविद्यालय द्वारा छात्रों द्वारा कोई शुल्क लिया गया है? अगर लिया गया है तो इसका अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(iii) क्या स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय के बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष के छात्रों का द्वितीय वर्ष (सत्र 2014–15) में कोई अध्ययन–अध्यापन चल रहा है या नहीं? यदि हाँ, तो इसका भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(iv) कार्य परिषद् के सदस्यों ने यह पाया कि प्राचार्य, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के पत्र सं0 : जी0 1–1/2015/914 दिनांक 29.01.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि– ''स्नातक स्तर पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर विज्ञान में सत्र 2014–15 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई माह में कोई भी पत्र महाविद्यालय को नहीं प्राप्त है। अपितु महाविद्यालय को प्रेषित पत्रांक दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/1600 दिनांक 27/29 नवम्बर, 2014 को

प्रेषित पत्र (जो महाविद्यालय में 02/12/2014 को प्राप्त हुआ) के माध्यम से सत्र 2014–15 में प्रवेश न करने हेतु कहा गया है, जबकि प्रवेश कार्य माह जुलाई–अगस्त में ही सम्पन्न हो जाता है।'' जबकि विश्वविद्यालय अपने पत्र सं0 दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/1037 दिनांक 04 जुलाई, 2014 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किया है कि– **''महाविद्यालय को अग्रेत्तर यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.07.2014 से बिना सम्बद्धता प्राप्त किये कोई भी प्रवेश नहीं करेंगे तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश क्षमता का निर्धारण कराकर ही प्रवेश किया जाय तथा उससे अधिक प्रवेश नहीं करेंगे। दोनों स्थिति में प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।''** साथ ही इसी पत्र के आधार पर प्राचार्य द्वारा सत्र 2014–15 हेतु निरीक्षण शुल्क भी विश्वविद्यालय में जमा कराया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी प्राचार्य, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर से पृच्छा प्राप्त कर लिया जाय कि इस तरह के पत्र कैसे विश्वविद्यालय को लिख रहे हैं।

महाविद्यालय से दिनांक 10 फरवरी, 2015 तक उक्त सूचनायें माँगने का निर्णय लिया गया, ताकि उन सूचनाओं के उपलब्ध होने के पश्चात् सत्र 2013–14 की स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय में अध्ययन करने वाले छात्रों के विषय में निदानात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा सके।

महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के बाद कार्य परिषद् अगली बैठक कर निर्णय लिया जायेगा।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

33rd Convocation - 7th February, 2015

RESEARCH SECTION

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
Gorakhpur - 273009

Ph.D./D.Litt. DEGREES AWARD LIST

AMENDED LIST

FACULTY / SUBJECT	Ph.D. DEGREE AWARDED	D.Litt. DEGREE AWARDED
FACULTY OF SCIENCE		
1- MATHEMATICS	09	———
2- STATISTICS	02	———
3- BIOTECHNOLOGY	03	———
4- BOTANY	04	———
5- ZOOLOGY	14	———
6- CHEMISTRY	05	———
7- PHYSICS	09	———
08- DEFENCE & STRATEGIC STUDIES	05	
FACULTY OF EDUCATION	05	———
FACULTY OF COMMERCE		
1- COMMERCE	13	———
2-BUSI. ADMINISTRATION	01	———
3- ECONOMICS	04	———
FACULTY OF ARTS		
1- SANSKRIT	10	———
2- PHILOSOPHY	02	01
3- GEOGRAPHY	04	———
4- ENGLISH	07	———
5- FINE ARTS	03	———
6- HISTORY	09	———
7- SOCIOLOGY	07	———
8- PSYCHOLOGY	13	———
9- POLITICAL SCIENCE	15	———
10- ANCIENT HISTORY, ARCH. & CULTURE	13	———
11- HINDI	22	———
GRAND TOTAL	179	01